—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 78/2022

उनवान

किशनलाल पुत्र छोगालाल जाति कहार निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
—— वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. अशोक पुत्र लिखमीचन्द
2. सहसकरण,
3. शिवजी, पुत्र लिखमीचन्द,
4. कंचन,
5. फूली,
6. दुर्गा,
7. काली, पुत्री लिखमीचन्द समस्त जातिगण कहार निवासी श्रीनगर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर,
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर
3 से 7 अनुपस्थित, 4 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 15.5.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 2949, 3009, 3036, 3037, 3038, 3097, 3098 किता 7 रकबा 0.70 की आराजी वादी व वादी के स्वर्गवासी पिता छोगालाल पुत्र प्रताप के खातें में दर्ज है। छोगालाल का स्वर्गवास हो गया है जिनके वारिस किशनलाल, लिखमीचन्द हुये जिसमें से लिखमीचन्द की मृत्यु हो गयी है। जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 7 है। रिद्वकरण द्वारा आराजी मुतनाजा में से अपना हिस्सा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.10.2012 को वादी का बैचान कर दिया है। उक्त आराजी का नामान्तकरण नही होने के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कियाजावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से 7 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब नही पेश करना जहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:09 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 2949, 3009, 3036, 3037, 3038, 3097, 3098 किता 7 रकबा 0.70 की आराजी वादी व वादी के स्वर्गवासी पिता छोगालाल पुत्र प्रताप के खातें में दर्ज है। छोगालाल का स्वर्गवास हो गया है जिनके वारिस किशनलाल, लिखमीचन्द हुये जिसमें से लिखमीचन्द की मृत्यु हो गयी है। जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 7 है। रिद्वकरण द्वारा आराजी मुतनाजा में से अपना हिस्सा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.10.2012 को वादी का बैचान कर दिया है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर रिद्वकरण का हिस्सा समाप्त हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का उक्त आराजी पर छोगालाल पुत्र प्रताप के 1/2 हिस्से के 1/3 हिस्से पर अधिकार होने से उनका आराजी मुतनाजा पर 1/6 हिस्सा निहित है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। आराजी मुतनाजा में भूमि वादी व प्रतिवादी की सह खातेदारी में दर्ज है। हाल राजस्व अभिलेख के खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया है। वादी खातेदारी व विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 2949, 3009, 3036, 3037, 3038, 3097, 3098 किता 7 रकबा 0.70 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर मृतक छोगालाल पुत्र प्रताप के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को व 2/3 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर उक्तानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही कर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:09 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

किशनलाल बनाम अशोक

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 78/2022
पेश करने की दिनांक – 13.06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई जितेन्द्र गुर्जर व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 2949, 3009, 3036, 3037, 3038, 3097, 3098 किता 7 रकबा 0.70 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर मृतक छोगालाल पुत्र प्रताप के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को व 2/3 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर उक्तानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही कर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक माह सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:09 IST
Reason: SelfAttested